

फर्द अहकाम

सुरेश बनाम एवणलाल व अरु

यालय

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

दिनांक 04/04/2024

(सी. नॉ. 1)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
17/4/25	<p>पगावली पेश दुर्क। अधिवक्तागण उम्मा पुत्र उपस्थित। अधिवक्तागण 1 को नोटिस के जवाब प्रस्तुत की। नोटिस के अंतर्गत 02 नं 08 की भांति नया जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाता है। नया जवाब अधिवक्तागण 1 को दिया जाता है। पगावली वास्तु बहल शर्तनामा ली। नोटिस दिनांक 25/04/25 को प्रेषित।</p> <p>सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर</p>	
25/4/25	<p>पगावली पेश दुर्क। अधिवक्तागण उम्मा पुत्र उपस्थित। उम्मा पुत्र का। अधिवक्तागण द्वारा जवाब प्रेषित किया है। नोटिस पगावली वास्तु बहल शर्तनामा ली। नोटिस दिनांक 08/05/25 को प्रेषित।</p> <p>सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर</p>	<p>सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर</p>
08/05/25	<p>पगावली पेश दुर्क। अधिवक्तागण उम्मा पुत्र उपस्थित। बहल शर्तनामा ली। नोटिस पर सुनी गई। शर्तनामा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधिवक्ता अधिवक्तागण द्वारा अपनी बहल में कथन दिया गया है कि शर्तनामा की भांति से कोई गंभीर शर्तनामा नहीं है। आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि (वास्तु भूमि) आरजी रजिस्ट्रार नं. 131/2513, 137, 138/2731 कुल रजिस्ट्रार नं. 3</p> <p>सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर</p>	<p>P.T.O.</p>



फर्द अहकाम

सुनने बनाम ध्वजलाल व भद्र

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर

केस संख्या 04/2024

मुख्यालय-जयपुर

(वी. नॉट.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	08/05/24	<p>तथा अपाधी- को उक्त मूमि वियातत में प्राप्त डक है। जो कि निविदादि नथ्य है। ऐसी स्थिति में जायदा पुगी के रूप में प्राधीगप के विधि एक अधिकादी को उपेक्षित नहीं किया जा सकता है। यद्यपि मूलवाद नू अंतिम निर्णय साध्याधी है। जिससे मूलवाद के निर्णय तक मूमि वाद मन्त को संरक्षित रखा जाणु न्यायाचित नमनेत है। डार: पूव अन्तमि स्थगन कादेश दिनांक 05.01.24 को तापसला मूलवाद स्थाव किया जाता है। निर्णय सुनान्य गमा।</p> <p>पगावली फील शता दोफ दुजे नम्वर से पम हो। वाद वकमिल अधिवर 24त है।</p> <p>सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर</p>